

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail: nodalofficerddu@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक- 805 / FP/UK/ROAD/13621/2015 देहरादून: दिनांक: 21 सितम्बर, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,  
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 10.35 है० वन भूमि वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में।

संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक-8 वी/यू०सी०पी०/०६/१४८/२०१६/एफ०सी०/१११८, दिनांक-२६.०९.२०१७ (प्रति संलग्न)

महोदय,

भारत सरकार, के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करे, जिससे भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत गयी थी, जिसकी अनुपालन आख्या वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा की पत्र संख्या-884/12-1(2) दिनांक-09.09.2022 एवं पत्र सं० 5182/12-1, दिनांक-21.05.2022(प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है-

क्र० सं०	अधिशेषित शर्त	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 20.70 है० सिन्नी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्ष तक रखरखाव हेतु आवश्यक घनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा की पत्र संख्या-884/12-1(2) दिनांक-09.09.2022 एवं पत्र सं० 5182/12-1, दिनांक-21.05.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या-01 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले 20.70 है० हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण की घनराशि रू० 5243972.00(बावन लाख तेतालिस हजार नौ सौ बहत्तर मात्र) ऑनलाईन चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है।(प्रति संलग्न) उक्त भूमि जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के प० स 2394/सात-54/2017-18 दिनांक-06.09.2018 द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम सिन्नी, पटवारी क्षेत्र रिगौनिया तहसील- मुनरवारी जिला-पिथौरागढ़ में चिन्हित भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किया जा चुका है।(प्रमाण पत्र संलग्न)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक-05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी० की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा की पत्र संख्या-884/12-1(2) दिनांक-09.09.2022 एवं पत्र सं० 5182/12-1, दिनांक-21.05.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या-02 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० की घनराशि रू० 9283950.00(बयानवे लाख तिरासी हजार नौ सौ पचास मात्र) ऑनलाईन चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है।(प्रति संलग्न)
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त घनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचन बद्धता प्रस्तुत की जायेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा की पत्र संख्या-884/12-1(2) दिनांक-09.09.2022 एवं पत्र सं० 5182/12-1, दिनांक-21.05.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या-03 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक-5-3/2007-एफ सी दिनांक-05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा की पत्र संख्या-884/12-1(2) दिनांक-09.09.2022 एवं पत्र सं० 5182/12-1, दिनांक-21.05.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या-04 के अनुपालन में 14527922.00(एक

	योजना प्राधिकरण(कैम्पा) में तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 कॉर्पोरेशन बैंक में जमा कराया जाए एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाए। धनराशि का हस्तान्तरण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम द्वारा ही किया जाना आवश्यक है।	करोड़ पैंतालीस लाख सत्ताईस हजार नौ सौ बाईस मात्र) ऑनलाइन चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है।(प्रति संलग्न)
5.	निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा central verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में स्ट्रीप प्लान्टेशन की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ दृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या-884/12-1(2) दिनांक-09.09.2022 एवं पत्र सं० 5182/12-1, दिनांक-21.05.2022 द्वारा अदगत कराया गया है कि शर्त संख्या-05 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
6.	State Govt. may uploaded 658.92 ha of CA Stipulated in the non-forest land in column-7 of the table in the district profile data at para-14 of online part-II	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ दृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या-884/12-1(2) दिनांक-09.09.2022 एवं पत्र सं० 5182/12-1, दिनांक-21.05.2022 द्वारा अदगत कराया गया है कि शर्त संख्या-06 के अनुपालन में आवश्यक प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित है।
7.	State Govt. will provide hard copy of proposal containing original attested copies of all other documents except FRA Certificate, geo referenced digital map of the forest land proposal for diversion which have been provided in original. Geo-referenced digital map of CA may be provided in original.	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ दृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या-884/12-1(2) दिनांक-09.09.2022 एवं पत्र सं० 5182/12-1, दिनांक-21.05.2022 द्वारा अदगत कराया गया है कि शर्त संख्या-07 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव की हार्ड कॉपी संलग्न कर प्रेषित है।

अन्य आवश्यक शर्तें-

8	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न।
9	एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है, तो प्रयोक्ता अभिकरण वही दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा।	वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न।
10	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न।
11	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का चार फिट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा, जिन पर फॉरवर्ड एवं बैक वेयरिंग अंकित किया जायेगा।	वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न।
12	सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो सके सड़क के दोनों किनारे तथा पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वनविभाग की देख-रेख में स्ट्रीप प्लान्टेशन की जाएगी।	वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न।
13	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा मार्ग निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जाएगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।	वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न।
14	परियोजना के निर्माण व रख-रखावा के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियाँ एवं जीव-जन्तुओं को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।	वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न।
15	वनभूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।	वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न।
16	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 76 से अधिक न हो।	वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न।
17	परियोजना निर्माण से ऊत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलबे निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा। एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलबे	वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न।

नहीं फेंका जाएगा।	
18 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न।

अतः प्रशंगत प्रकरण में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा/प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।  
संलग्न- यथोपरि।

भवदीय,

(ए०के० गुप्ता)  
वन संरक्षक

संख्या- / FP/UK/ROAD/13621/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या-5182/ 12-1(2) दिनांक-21.05.2022 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
3. मुख्य अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई, खण्ड, लो०नि०वि०, धारचूला को सूचनार्थ प्रेषित।

(ए०के० गुप्ता)  
वन संरक्षक